कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 4267/ख0अनु0/ई–निविदा/2026–27 दिनांक : 01/09/2026

भण्डारित आर0बी0एम0 के निस्तारण/निकासी हेतु
ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सहारनपुर में पुराने स्क्रीनिंग प्लाण्ट/क्रेशर के रैम्प/डग के पास /अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज आर0बी0एम0 को ई–निविदा के माध्यम से निस्तारित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

भण्डारित स्थल का विवरण :–

क्र0 सं0	ग्राम /तहसील	ख0नं0 /रकबा	मात्रा (घ0मी0 में)	क्षेत्र का जियो कॉर्डिनेटस्		नीलामी की दर (प्रति घ0मी0) (खनिमुख मूल्य)	सकल धनराशि (4 x 5)	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (सकल धनराशि का 50 प्रतिशत)	RBM की निकासी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	टटोहल बेहट	40/ 0.543हे0	1190	30^0 11'49.43'' N	77^0 30' 30.74'' E	800/–	9,52,000/–	4,76,000/–	10 दिन
				30^0 11'49.22'' N	77^0 30' 30.67'' E				
				30^0 11'48.49'' N	77^0 30' 32.55'' E				
				30^0 11'48.87'' N	77^0 30' 32.81'' E				
				30^0 11'49.11'' N	77^0 30' 32.31'' E				
				30^0 11'48.86'' N	77^0 30' 32.00'' E				
2	बरथा कोरसी बेहट	273/ 1.659हे0	786	30^0 13'39.65'' N	77^0 31' 53.25'' E	800/–	6,28,800/–	3,14,400/–	10 दिन
				30^0 13'39.35'' N	77^0 31' 52.89'' E				
				30^0 13'39.75'' N	77^0 31' 52.37'' E				
				30^0 13'40.07'' N	77^0 31' 52.75'' E				
3	सैद मौहम्मदपुर गढ बेहट	34 1.608हे0	3843	30^0 15'23.40'' N	77^0 32' 30.14'' E	800/–	30,74,400/–	15,37,200/–	10 दिन
				30^0 15'22.76'' N	77^0 32' 30.98'' E				
				30^0 15'24.89'' N	77^0 32' 33.25'' E				
				30^0 15'25.01'' N	77^0 32' 33.00'' E				
				30^0 15'24.74'' N	77^0 32' 32.70'' E				
				30^0 15'24.93'' N	77^0 32' 33.42'' E				
				30^0 15'24.60'' N	77^0 32' 32.04'' E				
				30^0 15'24.36'' N	77^0 32' 32.29'' E				
				30^0 15'23.88'' N	77^0 32' 31.85'' E				
				30^0 15'23.93'' N	77^0 32' 31.28'' E				
				30^0 15'23.56'' N	77^0 32' 30.76'' E				
				30^0 15'23.72'' N	77^0 32' 30.57'' E				
4	फैजाबाद बेहट	61/ 3.727हे0	4497	1		800/–	35,97,600/–	17,98,800/–	15 दिन
				30^0 19'29.45'' N	77^0 35' 37.20'' E				
				30^0 19'29.27'' N	77^0 35' 37.03'' E				
				30^0 19'27.40'' N	77^0 35' 39.33'' E				
				30^0 19'27.98'' N	77^0 35' 39.86'' E				
				30^0 19'28.47'' N	77^0 35' 39.26'' E				
				30^0 19'28.11'' N	77^0 35' 38.86'' E				
				(निम्न जियो कॉर्डिनेटस् के समीप)					
				30^0 19'29.83'' N	77^0 35' 38.05'' E				
				30^0 19'28.52'' N	77^0 35' 39.81'' E				
				30^0 19'28.38'' N	77^0 35' 41.27'' E				
				30^0 19'27.58'' N	77^0 35' 39.98'' E				
5	फैजाबाद बेहट	58 0.517हे0	6030	30^0 19'33.06'' N	77^0 35' 41.72'' E	800/–	48,24,000/–	24,12,000/–	15 दिन
				30^0 19'32.88'' N	77^0 34' 42.01'' E				
				30^0 19'31.82'' N	77^0 35' 40.92'' E				
				30^0 19'31.38'' N	77^0 35' 40.99'' E				
				30^0 19'29.26'' N	77^0 35' 43.61'' E				
				30^0 19'29.08'' N	77^0 35' 43.41'' E				
				30^0 19'31.26'' N	77^0 35' 40.62'' E				
				30^0 19'31.86'' N	77^0 35' 39.95'' E				
				30^0 19'32.20'' N	77^0 35' 40.73'' E				
6	मढती बेहट	209 1.136हे0	1880	30^0 17'34.95'' N	77^0 34' 32.52'' E	800/–	15,04,000/–	7,52,000/–	10 दिन
				30^0 17'34.85'' N	77^0 34' 32.62'' E				
				30^0 17'33.49'' N	77^0 34' 31.18'' E				
				30^0 17'33.04'' N	77^0 34' 31.20'' E				
				30^0 17'32.76'' N	77^0 34' 30.72'' E				
				30^0 17'33.16'' N	77^0 34' 30.32'' E				
7	फतेहपुर पेलों	400/3,	2230	30^0 9'25.43'' N	77^0 49' 7.67'' E	800/–	17,84,000/–	8,92,000/–	10

	बेहट	400 / 4, 400 / 5, 400 / 6 1.086हे0		30^0 9'25.45'' N 30^0 9'23.64'' N 30^0 9'23.34'' N 30^0 9'24.14'' N 30^0 9'24.40'' N	77^0 49' 7.35'' E 77^0 49' 6.85'' E 77^0 49' 7.44'' E 77^0 49' 7.85'' E 77^0 49' 7.47'' E				दिन
8	कालूवाला जहानपुर बेहट	1482म / 0.154हे0 1482म / 0.303हे0 1482म / 0.303हे0 1482म / 0.308हे0	3768	30^0 9'42.12'' N 30^0 9'42.06'' N 30^0 9'39.80'' N 30^0 9'39.75'' N 30^0 9'40.26'' N 30^0 9'40.46'' N	77^0 48' 57.30'' E 77^0 48' 56.97'' E 77^0 48' 57.30'' E 77^0 48' 58.05'' E 77^0 48' 57.97'' E 77^0 48' 57.65'' E	800 / –	30,14,400 / –	15,07,200 / –	10 दिन
9	कालूवाला जहानपुर बेहट	1440 / 1.506हे0, 1440 / 1.219हे0	6278	1 30^0 10'5.84'' N 30^0 10'6.63'' N 30^0 10'6.61'' N 30^0 10'6.73'' N 30^0 10'6.97'' N 30^0 10'7.51'' N 30^0 10'7.60'' N 30^0 10'6.90'' N 30^0 10'5.92'' N (निम्न जियो कॉर्डिनेटस् के समीप) 30^0 10'5.48'' N	 77^0 49' 9.23'' E 77^0 49' 9.53'' E 77^0 49' 8.90'' E 77^0 49' 7.98'' E 77^0 49' 7.42'' E 77^0 49' 7.41'' E 77^0 49' 7.16'' E 77^0 49' 7.03'' E 77^0 49' 8.25'' E 77^0 49' 9.41'' E	800 / –	50,22,400 / –	5,11,200 / –	15 दिन
10	कोठडी बहलोलपुर बेहट	487 / 1, 487 / 2, 487 / 3, 487 / 5 1.045हे0	828	1 30^0 12'40.53'' N 30^0 12'39.70'' N 30^0 12'40.01'' N 30^0 12'39.40'' N (निम्न जियो कॉर्डिनेटस् के समीप) 30^0 12'39.70'' N	 77^0 45'45.31'' E 77^0 45' 45.20'' E 77^0 45' 46.11'' E 77^0 45' 45.88'' E 77^0 45' 48.57'' E	800 / –	6,62,400 / –	3,31,200 / –	10 दिन
11	फैजाबाद बेहट	1333 / 0.409हे0 1334 / 0.409हे0, 1335 / 0.409हे0	3350	30^0 19'10.02'' N 30^0 19'09.20'' N 30^0 19'08.63'' N 30^0 19'08.91' N 30^0 19'08.09' N 30^0 19'08.32'' N	77^0 37' 52.12'' E 77^0 37' 51.32'' E 77^0 37' 51.88'' E 77^0 37' 52.66'' E 77^0 37' 53.76'' E 77^0 37' 54.09'' E	800 / –	26,80,000 / –	13,40,000 / –	10 दिन
12	नुनियारी बेहट	1 / 1 / 41 / 0.205हे0 1 / 1 / 42 / 0.205हे0 1 / 1 / 43 / 0.205हे0 1 / 1 / 44 / 0.205हे0 1 / 1 / 45 / 0.205हे0 1 / 1 / 46 / 0.205हे0 1 / 1 / 47 / 0.205हे0 1 / 1 / 48 / 0.205हे0	6044	1 30^0 11'26.89'' N 30^0 11'26.26'' N 30^0 11'25.50'' N 30^0 11'26.38'' N 30^0 11'26.84'' N 30^0 11'26.54'' N 2 30^0 11'29.79'' N 30^0 11'29.51'' N 30^0 11'30.86'' N 30^0 11'30.96'' N	 77^0 29' 3.8063''E 77^0 29' 5.23'' E 77^0 29' 5.18'' E 77^0 29' 6.21'' E 77^0 29' 4.75'' E 77^0 29' 4.55'' E 77^0 29' 6.01'' E 77^0 29' 6.97'' E 77^0 29' 7.15'' E 77^0 29' 6.61'' E	800 / –	48,35,200 / –	24,17,600 / –	15 दिन
13	जौंधेबांस बेहट	18 / 4 / 2 / 0.239हे0 18 / 4 / 3 / 0.239हे0	5088	30^0 10'23.30'' N 30^0 10'23.27'' N 30^0 10'24.75'' N 30^0 10'24.90'' N	77^0 28' 1.71'' E 77^0 28' 2.09'' E 77^0 28' 2.90'' E 77^0 28' 2.10'' E	800 / –	40,70,400 / –	20,35,200 / –	15 दिन

उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज **RBM** को निस्तारित करने के लिए दिनांक 07.09.2026 से दिनांक 13.09.2026 तक अपरान्ह 05:00 बजे तक वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाएगी, जिसे दिनांक **14.09.2026** से दिनांक **15.09.2026** के मध्य समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक स्थान खनिज कार्यालय, सहारनपुर में निर्धारित ई–निविदा (ई–टेण्डर) के प्रपत्र पर निविदा प्राप्त की जाएगी, जिनको अगले कार्यदिवस में दिनांक **16.09.2026** को समय 02:00 PM बजे जिलाधिकारी सहारनपुर के कार्यालय में निविदादाताओं तथा गठित कमेटी की उपस्थिति में खोला जाएगा।

यदि उक्त ई–निविदा प्राप्त करने एवं खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो प्राप्त ई–निविदा को खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल तथा खोलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इच्छुक व्यक्ति ई–निविदा (ई–टेण्डर) मुहरबन्द लिफाफे में खनन कार्यालय में रखे बॉक्स में डाला जाएगा।

शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की **निर्धारित अवधि अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो,** की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा एवं समय विस्तार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
2. कोई व्यक्ति / फर्म / निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :–
   - (i) निविदाकार का नामः–
   - (ii) निविदाकार के पिता का नामः–
   - (iii) स्थायी पताः–
   - (iv) वर्तमान पताः–
   - (v) पेन नं0ः–
   - (vi) आधार नं0ः–
   - (vii) ई–मेल आई डीः–
   - (viii) मोबाईल नं0
   - (ix) पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई डी / पास पोर्ट / डीएल / विद्युत बिल / बैंक पास बुक / राशन कार्ड)
   - (x) आवेदित क्षेत्र का विवरण – तहसील व ग्राम का नाम :–
   - (xi) उपखनिज का नाम :–
   - (xii) भण्डारित आर0बी0एम0 की मात्राः–
   - (xiii) खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्रः–
   - (xiv) न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम देय होगा।
     - (क) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि :–
     - (ख) बैक का नाम व शाखा :–
     - (ग) ड्राफ्ट नम्बर एवं दिनांक :–
   - (xv) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र–
   - (xvi) चोरी, तस्करी, अवैध खनन / अवैध परिवहन अथवा अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं ठहराये गये है तथा कोई खनन सम्बन्धी देय उस पर बाकी नही है के सम्बन्ध में शपथ पत्र–
3. निविदाकार को निविदा के लिए निर्धारित रॉयल्टी से अधिक दर की धनराशि को शब्दों में तथा अंकों में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग / अपर लेखन स्वीकार नही किया जाएगा और निविदा निरस्त समझी जाएगी।
4. निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध उपखनिज आर0बी0एम0 की मात्रा / स्थिति आदि का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।
6. सर्वोच्च दर के निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (LOI) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई–निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदा कर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
7. निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम के रूप से जमा अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई–निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. उक्त ई–निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
9. उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की अवधि तालिका में अंकित अवधि के अनुसार ही अनुमन्य होगी, तदोपरान्त अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रकिया से सम्बंधित

जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

10. उपखनिज निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी किया जायेगा।

11. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

12. निविदा जमा करने से पूर्व इच्छुक व्यक्ति उक्तानुसार एकत्रित किये गये उपखनिजों के स्थान का भली–भांति स्थलीय निरीक्षण कर उपलब्ध मात्रा एवं पहुँच मार्ग आदि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। निविदा सम्पन्न हो जाने के उपरान्त तत्सम्बन्ध में कोई आपत्ति/दावा मान्य नही होगा।

13. निविदा स्वीकृत हो जोन के उपरान्त यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा अवशेष धनराशि जमा नही की जाती, तो नियमानुसार जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी।

14. उक्त निविदा के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय सहारनपुर में उपस्थित होकर निविदा प्रपत्र एवं जानकारी प्राप्त कर सकता है।

15. निविदा के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

16. यदि कोई निविदाकार निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त आस–पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन/परिवहन करता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

01/09/2016

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या व दिनांक :–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकम, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

10. उपखनिज निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी किया जायेगा।

11. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

12. निविदा जमा करने से पूर्व इच्छुक व्यक्ति उक्तानुसार एकत्रित किये गये उपखनिजों के स्थान का भली–भांति स्थलीय निरीक्षण कर उपलब्ध मात्रा एवं पहुँच मार्ग आदि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। निविदा सम्पन्न हो जाने के उपरान्त तत्सम्बन्ध में कोई आपत्ति/दावा मान्य नही होगा।

13. निविदा स्वीकृत हो जोन के उपरान्त यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा अवशेष धनराशि जमा नही की जाती, तो नियमानुसार जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी।

14. उक्त निविदा के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय सहारनपुर में उपस्थित होकर निविदा प्रपत्र एवं जानकारी प्राप्त कर सकता है।

15. निविदा के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

16. यदि कोई निविदाकार निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त आस–पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन/परिवहन करता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

/

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

<u>पत्र संख्या व दिनांक :–उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकम, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।

03/09/2026

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by ARJUN KUMAR
Date: 2026.09.03 20:01:08 IST
Location: Uttar Pradesh-UP